आदेश द्वारा इकबाल प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 38 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
रिलायन्स एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 11 वी फ्लोर, नोर्थ विंग, आर टेक पार्क, नीयेन्स, ऑफ वे हाईवे, गोरेगांव, (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अमित कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल,
पता :– ग्राम बीबी के कुऐ के पास, वार्ड नम्बर 6, फतेहपुर सीकर
एवं खसरा नम्बर 1579 / 751, ग्राम मण्डा भीमसिंह तहसील फुलेरा, जयपुर।
2. श्रीमती बनारसी पत्नी बनवारी लाल,
पता :– वार्ड नम्बर 6, कृष्ण पाठशाला के पास, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर
एवं खसरा नम्बर 1579 / 751, ग्राम मण्डा भीमसिंह तहसील फुलेरा, जयपुर।
3. श्रीमती आशा सैनी पत्नी रामाराम सैनी,
पता :– कमरा नम्बर 110, वालचन्द अपार्टमेन्ट, क्रोस गार्डन के पास, नरोना कम्पाउण्ड, थाने भायेन्दर (पश्चिम) महाराष्ट्रा
एवं खसरा नम्बर 1579 / 751, ग्राम मण्डा भीमसिंह तहसील फुलेरा, जयपुर।
4. आशादीप बाल मन्दिर संचालन समिति,
पता :– भैंसलाना रोड, मण्डा रेहवाल, जयपुर।
एवं खसरा नम्बर 1579 / 751, ग्राम मण्डा भीमसिंह तहसील फुलेरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– श्री चंचलदीप, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक : 20.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **वित्तीय संस्था इंडियन स्कूल फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड** ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2017 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री बनवारी लाल सैनी एवं श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रामावतार सैनी के स्वामित्व की संपरिवर्तित सम्पति खसरा संख्या 1579 / 751 ग्राम मण्डा भीमसिंह, तहसील फुलेरा, जयपुर, क्षेत्रफल 11.33 बिस्वा** को बन्धक रख कुल राशि **15,20,000 / –** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। **इंडियन स्कूल फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 23.06.2022 को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी वित्तीय संस्था को अप्रार्थी का ऋण खाता स्थानान्तरित कर दिया गया।** अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **01.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 15,20,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **15,07,403/—** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **01.08.2023** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं

4. किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री बनवारी लाल सैनी एवं श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रामावतार सैनी के स्वामित्व की बंधक संपरिवर्तित सम्पति खसरा संख्या 1579/751 ग्राम मण्डा भीमसिंह, तहसील फुलेरा, जयपुर, क्षेत्रफल 11.33 बिस्वा** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **20.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner